न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 187 / 2022(जी.सी.एम.एस. 2022 / 275)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1. भगवन्त सिंह पुत्र जंगीर सिंह जाति मजहबी निवासी 43 जीजी खरलां तहसील श्रीकरणपुर। 2. बग्गा सिंह पुत्र जंगीर सिंह जाति मजहबी निवासी 43 जीजी खरलां तहसील श्रीकरणपुर। 3. चरणजीत कौर पुत्री जंगीर सिंह पत्नी पाल सिंह जाति मजहबी निवासी 43 जीजी खरलां तहसील श्रीकरणपुर।		1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

उपस्थितः 1.श्री जसकरण गोदारा अधिवक्ता वादीगण

तारीख रजू:– 28.09.2022

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

—निर्णय—

दिनांक : 08.04.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 3 एफ एफ, पटवार हल्का 43 जीजी खरलां, भू.अ.नि.क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 46 / 46 में वादीगण का नाम अन्य सहखातेदार के साथ दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण का नाम क्रमशः गूंगा सिंह, मगर सिंह, गुड्डी अंकित है। जबकि वादीगण का वास्तविक नाम क्रमशः भगवन्त सिंह, बग्गा सिंह, चरणजीत कौर है। वादीगण पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात में नाम क्रमशः भगवन्त सिंह, बग्गा सिंह, चरणजीत कौर अंकित है। वादीगण के नाम में भिन्नता होने के कारण कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार / केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादी मुताबिक दस्तावेजो के आधार पर नाम संशोधित करवाने हेतु घोषणात्मक अनुतोष का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है। वर्तमान में अनुदान / ऋण संबंधित आवेदन पत्र ऑनलाईन हो चुके है, जिनका दस्तावेजो के अनुरूप मिलान किया जाता है, उसके पश्चात् ही अनुदान / ऋण स्वीकृत करना अनिवार्य कर दिया है। इस कारण विभिन्न समस्याओ से झूजना पड़ रहा है। इसलिए भी उक्त संशोधन करवाने हेतु वादीगण माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर उक्त आशय के संशोधन हेतु घोषणा करवा रहा है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 3 एफ एफ, पटवार हल्का 43 जीजी खरलां, भू.अ.नि.क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 46 / 46 में अंकित नाम गूंगा सिंह के स्थान पर भगवन्त सिंह, मगर [illegible] सिंह, गुड्डी देवी के स्थान पर चरणजीत कौर दर्ज किए जाने के आदेश [illegible]
2. वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को [illegible] तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पत्रांक 942 दिनांक [illegible] 2024 से रिपोर्ट प्राप्त [illegible] तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक [illegible]ारी हलका द्वारा मौके [illegible] पूछताछ की गई व फर्द मौका बनाया गया। मौके पर उपस्थित मौतबिरान द्वारा जंगीर सिंह जाति मजहबी के गुरदीप सिंह, बन्ता सिंह, भगवन्त सिंह उर्फ गूंगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2025.09.04 12:23:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

सिंह, दर्शन सिंह, गुड्डी उर्फ चरणजीत कौर, पिला सिंह उर्फ कलवन्त सिंह, मगर सिंह उर्फ बग्गा सिंह कुल 7 वारिसान होना बताया गया।

3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादीगण, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादीगण अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 3 एफ एफ, पटवार हल्का 43 जीजी खरलां, भू.अ.नि.क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 46 / 46 की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, परिवार राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है। कि वादीगण के द्वारा राजस्व ग्राम 3 एफ एफ, पटवार हल्का 43 जीजी खरलां, भू.अ. नि.क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 46 / 46 में अंकित नाम गूंगा सिंह के स्थान पर भगवन्त सिंह, मगर सिंह के स्थान पर बग्गा सिंह, गुड्डी देवी के स्थान पर चरणजीत कौर दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया है। वादीगण के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात में नाम क्रमशः भगवन्त सिंह, बग्गा सिंह, चरणजीत कौर दर्ज है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार पटवारी हलका द्वारा मौके पर पूछताछ की गई व फर्द मौका बनाया गया। मौके पर उपस्थित मौतबिरान द्वारा जंगीर सिंह जाति मजहबी के गुरदीप सिंह, बन्ता सिंह, भगवन्त सिंह उर्फ गूंगा सिंह, दर्शन सिंह, गुड्डी उर्फ चरणजीत कौर, पिला सिंह उर्फ कलवन्त सिंह, मगर सिंह उर्फ बग्गा सिंह कुल 7 वारिसान होना बताया गया। अतः वाद पत्र वादीगण रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादीगण के द्वारा प्रस्तुत पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात, शपथ पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

–:आदेश:–

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादीगण अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136–राजस्व भू अधिनियम 1956 भली–भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 3 एफ एफ, पटवार हल्का 43 जीजी खरलां, भू.अ.नि.क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 46 / 46 में अंकित नाम गुंगा सिंह के स्थान पर गुंगा सिंह उर्फ भगवन्त सिंह पुत्र जंगीर सिंह, मगर सिंह के स्थान पर मगर सिंह उर्फ बग्गा सिंह पुत्र जंगीर सिंह, गुडी के स्थान पर गुडी उर्फ चरणजीत कौर पुत्री जंगीर सिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर / लेख भण्डार जमा हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2025.09.04 12:23:14 IST
Reason: SelfAttested

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 08.04.2024 को मेरे द्वारा [illegible]वाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)
सत्यमेव जयते

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)
भगवन्त सिंह आदि बनाम राजस्थान सरकार
धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट
मुकदमा नम्बर **187/2022**
निर्णय दिनांक :- 08.04.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादीगण अधिवक्ता श्री जसकरण गोदारा उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादीगण अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 3 एफ एफ, पटवार हल्का 43 जीजी खरलां, भू.अ.नि.क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 46/46 में अंकित नाम गुंगा सिंह के स्थान पर गुंगा सिंह उर्फ भगवन्त सिंह पुत्र जंगीर सिंह, मगर सिंह के स्थान पर मगर सिंह उर्फ बग्गा सिंह पुत्र जंगीर सिंह, गुडी के स्थान पर गुडी उर्फ चरणजीत कौर पुत्री जंगीर सिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 08.04.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**04**	**00**	**योग**	**00**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर
दिनांक: 08.04.2024

क्रमांक: रीडर/2024/133

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित कर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2025.09.04 12:23:14 IST
Reason: SelfAttested

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ श्री करणपुर (श्री गंगानगर) ★ सत्यमेव जयते